



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :कम्प्यूटर/SPPP/2024/957


दिनांक : 14/2/2024

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम 2013 के कार्यालय आदेश क्रमांक वित प्रकोष्ठ/2012-13/578 दिनांक 28.03.2013 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किया गया है। पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक 635 दिनांक 09.11.2020 के अधिक्रमण में एतद्द्वारा श्री अनुज माथुर, अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके द्वारा (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग-4 क) में प्रकाशित राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (गुप-2) की अधिसूचना के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग-4 (ग) उपखण्ड-(i) में जनवरी 2013 को प्रकाशित सामान्य कानूनी नियम वित (जी एण्ड टी) की अधिसूचना के नियमों के कर्तव्य एवं सुनिश्चित किये गये दायित्वों की राजस्थान आवासन मण्डल में पालना करायी जायेगी।

विधान के प्रावधान अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवासन मण्डल की समस्त गतिविधियों की सूचना/अधिसूचना एवं निविदा के अपलोड करवाने हेतु श्री अनुज माथुर अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(मनोज गुप्ता)

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. प्रमुख्य शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/(मुख्यालय) रा0आ0म0, जयपुर।
5. सचिव/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता, रा0आ0म0
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0म0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय आदेश मण्डल की वेबसाईट पर डलवाकर सभी को ई-मेल से सूचित करें।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

13/2/24